Central Wool Development Board, Ministry of Textiles, Govt. of India

C-3, Shastri Nagar, Near Shastri Circle, Jodhpur (Rajasthan) 342003 Fax No.:- 0291-2439017 Telephone No.:-

2433967,2616328

No:- CWDB/W.Expo/2010/ Date:- 10.8.2010

GENERAL NOTICE

The Central Wool Development Board, Ministry of Textiles, Gol, invites Proposals/ Applications from registered NGOs/Trust/Cooperative Society and State & Central Govt. Boards/Federations/Corporations etc. engaged in development & marketing of Wool & Woollen products for organizing Woollen Expo at different places i.e. Shillong (Meghalaya), Guwahati (Assam), Hyderabad (Andhra Pradesh), & Delhi etc under the Board scheme in 11th Plan during financial year 2010-11. For further details please visit our website: www.woolboard.nic.in or contact office as above.

Interested organizations may submit their proposal in prescribed format (Can be down load for our website) along with all required information & documents duly attested to the Board latest by 15 September, 2010.

(K.K. GOYAL)
Executive Director



केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार,

सी-3, शास्त्री नगर, शास्त्री सर्कल,जोधपुर [राजस्थान] 342003

ई-मेल: woolindiajodhpur@dataone.in

फोन नम्बर- 2433967, 2616328

वेबसाइट: www.woolboard.nic.in फैक्स नम्बर-0291-2439017

दिनांक 10.8.2010

सामान्य सूचना

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, के संवर्द्धनात्मक क्रियाकलाणों के तहत ऊन एंव ऊनी उत्पादों के विकास व विपणन हेतु प्रयासरत संस्थाओ से वर्ष 2010-11 में विभिन्न स्थानों जैसे शिलांग (मेघालय), गुवाहाटी (असम), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), और दिल्ली आदि में मेला आयोजन हेतु प्रयासरत संस्थाओ से प्रस्ताव/आवेदन आमंत्रित करता है। अन्य ब्यौरे हेतु कृपया हमारी वेब साइटः www.woolboard.nic.in देखें या उपर्युक्तानुसार कार्यालय से सम्पर्क करें।

इच्छुक पार्टियां पंजीयन प्रमाण-पत्र, मेला आयोजित करने के पूर्ण अनुभव, स्थान, दूरी और मेला सारणी सिहत अपने आवेदन प्रस्तावित एनजीओ पंजीकरण आवेदन फार्म (जो बोर्ड वेबसाईट से डाउन लोड किया जा सकता है) मे भरकर भेजे। एनजीओ आवेदन पत्र हमारी वेबसाईट से डाउन लोड किया जा सकता है।

प्रस्ताव बोर्ड कार्यालय मे 15 सितम्बर 2010 तक प्राप्त हो जाने चाहिए ।

(के.के. गोयल) कार्यकारी निदेशक

